UPVR010020012019

IN THE COURT OF Addl. District & Sessions Judge/F.T.C. (14th F.C.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
Sessions Case- 133/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष

बनाम

1- हशीब अहमद पुत्र स्व0 रसीद **(मृतक/उपशमित)**
निवासी रोही थाना कोखराज, जनपद, कौशाम्बी।
2- मो0 अफजल पुत्र मो0 इकबाल
निवासी- पूरामुफ्ती, पुरानी बाजार थाना पूरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी।

अभियुक्तगण

मु.अ.सं.- 265/2018
धारा- 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता,
धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना- मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी।

वादी मुकदमा	उप निरीक्षक शम्स जावेद खान
विद्वान अधिवक्ता अभियोजन	श्री रविन्द्र नारायण तिवारी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।
अभियुक्तगण	1- हशीब अहमद पुत्र स्व0 रसीद **(मृतक/उपशमित),** 2- मो0 अफजल पुत्र मो0 इकबाल
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्तागण-	श्री अशफाक (एडवोकेट) श्री अरूण कुमार यादव (एडवोकेट)

दिनांक-23.07.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड - यू.पी.1827

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.07.23 17:29:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPVR010020012019

IN THE COURT OF Addl. District & Sessions Judge/F.T.C. (14th F. C.) At, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
Sessions Case- 133/2019
राज्य **बनाम** हशीब अहमद आदि

मु.अ.सं.- 265/2018
धारा- 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता,
धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना- मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी।

अपराध की तिथि	15.10.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट	15.10.2018
आरोप विरचन की तिथि	13.03.2019
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	22.10.2019
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	20.07.2026
निर्णय की तिथि	23.07.2026
दण्डादेश पारित किये जाने की तिथि	23.07.2026

क्रम सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की तिथि**	**जमानत की तिथि**	**आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-**	**दोषमुक्त या दोषसिद्ध**	**दण्डादेश**	**धारा-428 दं0 प्र0 सं0 के निमित घटायी गयी अवधि**
1.	मो0 अफजल	15.10.2018	21.12.2018	धारा 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त तथा धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अपराध हेतु मु. 50/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।	**दोषसिद्ध**	-	-
2.	हशीब अहमद	**उपशमित**					

दिनांक- 23.07.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड - यू.पी.1827

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

UPVR010020012019

IN THE COURT OF Addl. District & Sessions Judge/F.T.C. (14th F.C.) At, Varanasi

(Presided Over by Manoj Kumar-II)

Sessions Case- 133/2019

राज्य **बनाम** हशीब अहमद आदि

मु.अ.सं.- 265/2018
धारा- 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता,
धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना- मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी।

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्षीगण का विवरण

ए- अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षीगण का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.डब्ल्यू.1	उ०नि० शम्स जावेद खाँन	वादी मुकदमा
पी.डब्ल्यू.2	कांस्टेबल बहादुर यादव	कांस्टेबल
पी.डब्ल्यू.3	हेड कांस्टेबल धर्मेन्द्र यादव	हेड कांस्टेबल
पी.डब्ल्यू.4	उ०नि० बृजेश सिंह	विवेचक

बी- बचाव पक्ष के साक्षी- NIL
सी- न्यायालय साक्षी- NIL

अभियोजन/बचाव पक्ष के प्रदर्शों का विवरण

ए- अभियोजन

क्र.सं.	प्रपत्र	प्रदर्श
1	गिरफ्तारी मेमों	प्रदर्श क-1
2	सुपुर्दगी नामा	प्रदर्श क-2
3	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क-3
4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-4
5	कायमी चिक	प्रदर्श क-5
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क-6
7	आरोप पत्र,	प्रदर्श क-7

बी- बचाव पक्ष के प्रदर्श - NIL
सी- न्यायालय प्रदर्श- NIL
डी- वस्तु प्रदर्श- NIL
अभियोजन की ओर से साबित कराये गये वस्तु प्रदर्श- NIL
न्यायालय प्रदर्श- निल
वस्तु प्रदर्श- निल

दिनांक-23.07.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड - यू.पी.1827

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

UPVR010020012019

IN THE COURT OF Addl. District & Sessions Judge/
F.T.C. (14th F.C.) At, Varanasi.
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
Sessions Case- 133/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष

बनाम

1- हशीब अहमद पुत्र स्व. रसीद **(मृतक/उपशमित)**
निवासी रोही थाना कोखराज, जनपद, कौशाम्बी।

2- मो0 अफजल पुत्र मो0 इकबाल
निवासी- पूरामुफ्ती, पुरानी बाजार थाना पूरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी।

अभियुक्त।

मु.अ.सं.- 265/2018
धारा- 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता,
धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना- मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी।

निर्णय

1- थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी द्वारा मु.अ.सं. 265/2018 में अभियुक्तगण हशीब अहमद व मो0 अफजल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के विचारण हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली दिनांक 28.02.2019 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 01, वाराणसी द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध का परीक्षण किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त हशीब अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को अभियुक्त हशीब अहमद के विरूद्ध वाद कार्यवाही उपशमित की गयी ।

2- संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.18 को वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक शम्स जावेद खान मय हमराही कांस्टेबल बहादुर यादव के देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त रोकथाम जुर्म जरायम, पेन्डिंग विवेचना व शान्ति व्यवस्था में मामूर होकर साधू की कुटिया तिराहा पर मौजूद था कि मुखबिर खास आकर बताया कि एक गाड़ी कन्टेनर में भैसों को ठूस-ठूस कर भरकर लादकर वाराणसी की ओर से लेकर आ रहे है तथा कानपुर की ओर लेकर जाएगें, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। उक्त सूचना पर विश्वास करके हस्बुल तलब का0 नरेन्द्र यादव को लेकर वादी मुकदमा मय हमराही व मुखबिर खास के रखौना बरमबाबा तिराहे के पास आकर वाहन चेकिंग शुरु कर दिए तथा वाराणसी की ओर से आने वाली गाड़ी की सघनता से होशियारी पूर्वक टार्च की रोशनी एवं सडक के किनारे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चेकिंग कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद एक ट्रक कन्टेनर वाराणसी की ओर से आता दिखायी दिया जिसे देखकर उसकी ओर इशारा करते हुए मुखबिर खास ने बताया कि

यही वह कन्टेनर ट्रक है, जिसमें जानवर भैंस व भैंसा क्रूरतापूर्वक ठूस-ठूसकर भरे हुए है और हट-बढ़ गया। जिस पर पुलिस वालें ने सिखाये गये नियमों का पालन करते हुये सर्तकता पूर्वक उक्त कन्टेनर को टार्च की रोशनी से रुकने का इशारा करते हुये प्रयास किया कि उक्त कन्टेनर की केबिन में बायी तरफ बैठे व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि गाड़ी चढ़ाकर पुलिस वालो को जान से मार दो नहीं तो वह दोनो लोग सहित गाड़ी भी पकड़े जायेंगे। इतना सुनते ही उक्त कन्टेनर का चालक पुलिस वालो को लक्ष्य करके अपनी गाड़ी तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से उनके उपर कन्टेनर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया । पुलिस वाले ट्रेनिंग में सिखाये गये नियमों को अमल में लाते हुये किसी तरह अपना बचाव करते हुए हिकमत अमली से उक्त कन्टेनर को रोक लिए । कन्टेनर रुकते ही कन्टेनर का दोनो गेट खोलकर दोनो तरफ से एक-एक आदमी कूदकर भागने का प्रयास किए कि पुलिस वाले दौड़ाकर 10-15 कदम जाते-जाते पकड़ लिये।

पकडे गए व्यक्तियों से नाम व पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो उक्त एक व्यक्ति ने स्वयं को वाहन चालक बताते हुये अपना नाम हशीब अहमद बताते हुए कहा कि उसकी गाड़ी में जानवर ठूस-ठूसकर लादे गए है जिसे लेकर वह कानपुर जा रहा था। रास्ते में पुलिस वाले रोक रहे थे तो पुलिसवालों को जान से मारने का प्रयास किया, इसलिये पकडे जाने के भय से वह लोग भागने का प्रयास कर रहे थे कि पुलिसवालों ने पकड लिया। दूसरे व्यक्ति ने स्वयं को खलासी बताते हुये अपना नाम मो0 अफजल बताते हुए कहा कि गाड़ी कन्टेनर में जानवर ठूस-ठूस कर भरे थे कि पुलिस वाले रूकने का इशारा कर रहे थे तो वह समझे कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेगे तब उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी चढ़ाकर पुलिस वालो को जान से मार दो नहीं तो वह लोग गाड़ी सहित पकड़े जा सकते है। इसलिए डर के मारे वह भाग रहे थे कि पुलिस वालों द्वारा पकड़ लिए गये है।

पकड़े गये व्यक्तियों से उक्त वाहन ट्रक कन्टेनर का दरवाजा खोलवाकर देखा गया तो उक्त कन्टेनर में कुल 29 राशि भैंस एवं भैसा ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक लादकर ले जाया जा रहा है। उक्त वाहन का निरीक्षण किया गया तो उक्त वाहन का रजि0 संख्या HR55M2788 पाया गया। उक्त वाहन को उक्त चालक की मदद से चलवाकर जानवरों को उतारने वाले योग्य जगह पर ले जाकर उक्त कन्टेनर से जानवर को सुरक्षित उताकर देखा गया तो उक्त जानवरों में 24 राशि भैस, रंग काला, पूँछ काली, ऊचाई 7-9 मूँठ (अलग- अलग), सिंघ 1-1/2 से 2 बालिस्त लगभग, नाक, कान, ऑख औसत, 03 राशि भैंस रंग भूरा, पूँछ भूरी, ऊचाई सभी की 9 मूॅठ, सिंघ लगभग 2 बालिस्त,, नसक, कान, ऑख औसत, 02 राशि भैंसा रंग काला, पूॅछ काली, ऊचाई सभी की लगभग 8 मूॅठ, सिंघ लगभग 1-1/2 बालिस्त, नाक, कान व औसत, पाया गया।

उक्त बरामदशुदा वाहन एवं जानवरो को कब्जा पुलिस एवं पकड़े गये अभियुक्तगण को नियमानुसार हिरासत पुलिस समय करीब 19.05 बजे लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों को गिरफ्तारी के समय राष्ट्रीय मानव आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया पकड़े जानवरो को सुरक्षा एवं चारा-पानी व देखरेख के दृष्टिगत ग्राम खजुरी के भइया लाल पुत्र छटन्की को बुलाकर सुपुर्दगी नामा तैयार कर हस्ताक्षर बनवाकर नियमानुसार सुपुर्दगी में देकर हिदायत किया गया कि उक्त जानवर जब भी पुलिस या न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, वापस करेगा । ।अभियुक्तगण की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए आवश्यक कपड़ो के कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। फर्द मौके पर स्ट्रीट लाइट व टार्च की रोशनी में तैयार कर सभी संबंधित के हस्ताक्षर बनवाये जा रहे है। अभियुक्तगण के गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन को अकब से दी गयी। फर्द की एक प्रति अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाकर एक-एक प्रति दी गयी। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तगण को उनका अपराध

अन्तर्गत धार 279/307 भा.दं.सं. व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बताकर हिरासत पुलिस लिया गया।

फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी पर दिनांक 15.10.2018 को 19.05 बजे, मु0 अ0 सं0 265/2018 अंतर्गत धारा 279, 307 IPC, धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 अभियुक्तगण हशीब अहमद व मो0 अफजल के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

3- बाद विवेचना अभियुक्तगण हशीब अहमद व मो0 अफजल के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 279,307 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 11 पशू क्रूरता निवारण अधिनियम विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

4- उपरोक्त नामित अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये । अभियुक्तगण को अभियोजन की प्रतियां प्रदान की गई। मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 01, वाराणसी द्वारा प्रकरण को दिनांक 28.02.2019 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। अभियुक्तगण हशीब अहमद व मो0 अफजल के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर सत्र परीक्षण वाद संख्या 133/2019 दर्ज हुआ।

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त तथा केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, वाराणसी द्वारा दिनांक 13.03.2019 को अभियुक्तगण हशीब अहमद व मो0 अफजल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279,307 IPC व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त हशीब अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2025 को अभियुक्त हशीब अहमद के विरूद्ध उपशमित की गयी।

6- अभियोजन पक्ष द्वारा स्वयं के मामले को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये-

साक्षी का क्रम	**साक्षीगण का नाम**	**साक्षी की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू.1	उप निरीक्षक शम्स जावेद खान	वादी मुकदमा
पी.डब्ल्यू.2	कॉ. बहादुर यादव	अन्य गवाह
पी.डब्ल्यू.3	हेड. कॉ. धर्मेन्द्र यादव	एफ.आई. आर लेखक
पी.डब्ल्यू.4	उप निरीक्षक बृजेश सिंह	विवेचक

दौरान विचारण परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को साबित किया जो इस प्रकार है-

क्र.सं.	**प्रपत्र**	**प्रदर्श**
1	गिरफ्तारी मेमों	प्रदर्श क-1
2	सुपुर्दगी नामा	प्रदर्श क-2
3	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क-3

4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-4
5	कायमी जी.डी.	प्रदर्श क-5
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क-6
7	आरोप पत्र,	प्रदर्श क-7

7- अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी.डब्ल्यू. 01 उप निरीक्षक शम्स जावेद खान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 15.10.2018 को थाना मिर्जामुराद, वाराणसी पर तैनात था उस दिन हमराही कां. बहादुर यादव के साथ देखभाल क्षेत्र रात्रि गश्त शान्ति व्यवस्था में मामूर होकर साधू की कुटिया तिराहे मुखबिर खास की सूचना पर कन्टेनर में भैंसों को ठूस कर भर-लादकर वाराणसी की ओर से कानपुर जायेगा इस सूचना पर वह, हमराही व मुखबिर खास के साथ रखौना बरम बाबा तिराहे के पास जाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दिया, आती-जाती गाड़ियों को सावधानीपूर्वक चेकिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद एक ट्रक कन्टेनर को मुखबिर खास ने इशारा करते हुए बताया कि यह वही कन्टेनर ट्रक है, जिसमें जानवर (भैंस एवं भैंसा) क्रूरतापूर्वक भरे हुए हैं। उसने सतर्कतापूर्वक उक्त कन्टेनर को टार्च की रोशनी से इशारा करते हुए रोकने का प्रयास किया तो कन्टेनर के केबिन में बाये तरफ बैठे आप अभियुक्त ने चिल्लाते हुए बोला कि पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दो व जान से मार दो, नहीं तो पकड़े जाएंगे जिस पर अभियुक्तगण द्वारा कन्टेनर ट्रक को पुलिस वालों पर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। वह लोग सावधानी बरतते हुए अपना बचाव कर लिए व कन्टेनर रोक लिया। कन्टेनर के दोनों तरफ एक-एक व्यक्ति कूद कर भागने लगे उन लोगों ने कुछ दूर दौड़ाकर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पूछताछ किया पकड़े व्यक्तियों का एक ने अपना नाम हसीब अहमद बताया तथा दूसरे ने अपना नाम मो0 अफजल बताया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों द्वारा ट्रक कन्टेनर का दरवाजा खोलवाकर देखा गया तो उसमें कुल 29 राशि भैंस व भैंसा ठूस-ठूस कर भरे हुए थे जिन्हें अभियुक्तगण क्रुरतापूर्वक लाद कर ले जा रहे थे। बरामदशुदा कन्टेनर ट्रक नं. HR55M2788 से जानवरों को सुरक्षित उतारकर देखा गया तो 24 राशि भैंस रंग काला ऊंचाई 7-9 मूठ अलग-अलग, सिंघ डेढ-दो वालिस्त अलग-अलग नाक-कान, आंख औसत, 03 राशि भैंस, रंग भूरा ऊंचाई लगभग 9 मूठ सभी, सिंघ लगभग दो वालिस्त सभी। 02 राशि भैंसा रंग काला ऊंचाई लगभग 8 मूठ सभी, सिंघ लगभग एक-डेढ़ वालिस्त पाया गया। पकड़े गये अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय व मानवाधिकार के नियमों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस समय लगभग 19.05 बजे लिया गया।पकडे गये जानवरों की सुरक्षा चारा - पानी देखभाल वास्ते ग्राम खजुनी के भईया लाल को बुलाकर सुपुर्दगीनामा तैयार कर हस्ताक्षर बनवाकर नियमानसार सुपुर्दगी दियया गया ताकि जरूरत पडने पर उनसे वापस लिया जा सके ।

साक्षी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा पत्रावली में संलग्न गिरफ्तारी मेमो को **प्रदर्श क-1,** सुपुर्दगी नामा को **प्रदर्श क-**2 के रूप में साबित करते हुये यह भी बयान दिया है कि फर्द मौके पर उसके द्वारा तैयार किया गया। फर्द को अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया गया व उनके हस्ताक्षर बनवाये गए तथा एक-एक प्रति अभियुक्तगण को दी गई तथा अभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया। साक्षी द्वारा फर्द बरामदगी को उसके द्वारा लिखे जाने तथा उस पर उसके हस्ताक्षर की पुष्टि होने का कथान करते हुये उक्त फर्द बरामदगी को **प्रदर्श क-3** के साबित करते हुये यह भी बयान दिया है कि विवेचक ने उसका बयान लिया था।

8- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 कां. बहादुर यादव ने अपने मौखिक साक्ष्य में सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 15.10.2018 को थाना मिर्जामुराद पर

तैनात था तथा उपनिरीक्षक शम्स जावेद खान के साथ ड्यूटी में मामूर होकर साधू की कुटिया तिराहे पर मौजूद था । मुखबिर खास की सूचना पर कि एक गाड़ी कन्टेनर में भैंसो को ठूस-ठूस कर लादकर वाराणसी की ओर लेकर जा रहे है व कानपुर की ओर लेकर जाएंगे, वह लोग बरम बाबा के तिराहे पर जाकर वाहनों की चेकिंग शुरु कर दिये। सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट की रोशनी व टार्च की रोशनी में हर गाड़ी की सघनता से तालाशी करने लगे, तभी आती हुई गाड़ी (कन्टेनर ट्रक) की ओर इशारा करके हट बढ़ गया। उक्त गाडी कन्टेनर को उन लोगों द्वारा सतर्कता पूर्वक रुकने का इशारा किया गया, तभी उक्त कन्टेनर की केबिन में बायीं तरफ बैठे व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि उन पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दो रुकना मत। उन पुलिस वालों पर कन्टेनर ट्रक चढ़ा कर मारने का प्रयास किया गया, वह लोग बचते-बचाते ट्रक को रोक लिए। उक्त कन्टेनर रुकते ही दोनों गेट से एक-एक आदमी कूदकर भागने का प्रयास किए। उन पुलिस वालों दस-पन्द्रह कदम दौड़कर उन लोगों को पकड़ लिया, पकड़े व्यक्तियों में से एक ने अपना नाम हशीब अहमद पुत्र स्व. रशीद अपने को कन्टेनर चालक बताया। बोला उनकी गाड़ी में जानवर ठूस-ठूस कर भरे व लादे गये हैं, जिसे लेकर वह कानपुर जा रहा था। पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद अफजल पुत्र मोहम्मद इकबाल बताया तथा वह उक्त कन्टेनर का खलासी था। पकड़े गये वाहन ट्रक कन्टेनर का दरवाजा खुलवाकर देखा गया, कन्टेनर में कुल 29 राशि भैंस व भैंसे ठूस-ठूस कर भरे व लादे गये थे जिस कारण पशुओं को जख्म भी था। उपरोक्त बरामदशुदा जानवरों को कब्जा पुलिस व पकड़े गये अभियुक्तगण नियमानुसार हिरासत पुलिस समय करीब 19.05 बजे लिया गया। जानवरों की सुरक्षा एवं चारा पानी के लिए सुपुर्दगी नामा तैयार कर ग्राम खजुरी के भईया लाल के हस्ताक्षर बनवाकर उनको सौंपा गया। फर्द मौके पर स्ट्रीट लाइट व टार्च की रोशनी में तैयार कर सभी संबंधित के हस्ताक्षर बनवाए गए। उसने भी अपना हस्ताक्षर बना दिया। साक्षी ने फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुये विवेचक द्वारा उसका बयान लिये जाने का भी कथन किया गया है।

9- अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू03 हेड. का0 धर्मेन्द यादव ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को **प्रदर्श क-4,** कायमी चिक को **प्रदर्श क-5** के रूप में साबित किया है ।

10- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्ल्यू. 04 विवेचक/बृजेश सिंह** ने नक्शा नजरी को प्रदर्श क-6 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया है।

11-अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त शेष अभियुक्त मो. अफजल का बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त मो. अफजल द्वारा घटना को गलत होना, कथित घटना के समय 29 राशि भैस व भैंसा का फोटोग्राफ नही करवाया गया है तथा किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोटे नही आयी है और न ही पुलिस ने अपना कोई मेडिकल न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

साक्षी पी.डब्लू. 1 वादी मुकदमा/शम्स जावेद खान के बयान को अभियुक्त मो.अफजल द्वारा गलत होने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही मुखबिर के बातो पर विश्वास करके किये जाने तथा मुखबिर ने पी.डब्ल्यू. 01 को वाहन का नंबर व उसका हुलिया न बताये जाने का कथन किया गया है। वह न वाहन स्वामी है, और न ही जानवर स्वामी है। उसे गलत तरीके से बिना साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया गया है व बरामद जानवरों को किसी राजकीय गौशाला या कांजी हाउस में सुपुर्द नही किया जाना और न ही सुपुर्दगी नामा का बयान ही लिया गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू.1 द्वारा गलत तरीके से बिना साक्ष्य के आधार पर बयान दिया है।

अभियुक्त मो. अफजल ने साक्षी संख्या 02 बहादुर यादव के बयान को गलत होना तथा साक्षी पी.डब्ल्यू. 2 को कोई चोटे न आने और पी.डब्ल्यू. 02 ने अपना मेडिकल मुआयना

भी न करवाये जाने तथा उसके विरूद्ध गलत तरीके से बिना साक्ष्य के आधार पर बयान दिया जाने का कथन किया है।

अभियुक्त मो. अफजल ने साक्षी संख्या 03 हेड. कॉ. धर्मेन्द्र यादव के बयान के सम्बन्ध में कथन किया है कि उक्त साक्षी ने गलत फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है तथा फर्द पर वादी मुकदमा का हस्ताक्षर नही है तथा कायमी चिक का मूल से मिलान नही किया गया है।

अभियुक्त मो. अफजल ने साक्षी संख्या 04 उ.नि. बृजेश सिंह के बयान के सम्बन्ध में कथन किया है कि साक्षी ने बिना साक्ष्य के आरोप पत्र लगाया है। सभी साक्षी पुलिस कर्मचारी है जो थाना मिर्जा मुराद पर तैनात थे । स्वतन्त्र साक्षी के बयान नही लिये गये है तथा बिना किसी साक्ष्य के नक्शानजरी व आरोप पत्र को गलत तौर पर साबित किया गया है।

अभियुक्त मो. अफजल का यह भी कथन है कि उसे गलत तरीके से रंजिशन मुखबिर के बातों पर विश्वास करके बिना साक्ष्य के झूठा मुकदमा चलाया गया है। वह निर्दोष है तथा उसे अपनी प्रतिरक्षा में कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना है।

12- मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

13- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दौरान बहस तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी.डब्ल्यू. 01 शम्स जावेद खान, पी.डब्ल्यू. 02 बहादुर यादव, पी.डब्ल्यू. 03 हे.कां. धर्मेन्द्र यादव तथा पी.डब्ल्यू. 04 विवेचक/बृजेश सिंह, द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श क-1 को गिरफ्तारी मेमों, प्रदर्श क-2 को सुपुर्दगी नामा, प्रदर्श क-3 को फर्द बरामदगी, प्रदर्श क-4 को प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क-5 को कायमी चिक, प्रदर्श क-6 को नक्शा नजरी तथा प्रदर्श क-1 को आरोप पत्र, से अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया गया है व अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

14- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा मृतक अभियुक्त हशीब अहमद व मो. अफजल दोनों के विरूद्ध धारा 279 भा.दं.सं. के अपराध में भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधितः संभव नही है क्योंकि एक समय एक व्यक्ति वाहन का चालक हो सकता है। फर्द बरामदगी के अनुसार मुखबिर द्वारा वादी मुकदमा को ट्रक कन्टेनर का कोई नंबर या हुलिया नही बताया गया और न ही फर्द में प्रश्नगत ट्रक कन्टेनर की कोई रफ्तार ही बताई गयी है न ही ट्रक चढ़ाने के उपक्रम में किसी पुलिस बल को चोटें आई है तथा बरामद पशुओ को न्यायालय के समक्ष पेश भी नही किया गया है न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि बरामद गोवंश को क्रूरतापूर्वक कानपुर ले जाए जा रहे थे, अतः अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध साबित न होने के कारण अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है ।

15- उभय पक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वर्तमान प्रकरण के प्रभावी निस्तारण हेतु धारा 354(1)(बी) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किए जाते हैं-

(i) क्या अभियुक्त के कब्जे से 29 राशि भैस व भैसा बरामद किया गया जिसे अभियुक्त द्वारा ट्रक कंटेनर संख्या HR55M2788 के माध्यम से बुरी तरह से क्रूरता व निर्दयतापूर्वक ठूस-ठूस कर लादकर कानपुर ले जाया जा रहा था **?**

(ii) क्या अभियुक्त द्वारा ट्रक कंटेनर संख्या HR55M2788 को सार्वजनिक रूप से तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाया गया जिससे लोक जीवन संकटापन्न हुआ ?
(iii) क्या अभियुक्त द्वारा ट्रक संख्या HR55M2788 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर पुलिस अधिकारियों पर चढाकर उन्हे जान से मारने का प्रयास किया गया ?

16- <u>प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 279, 307 भा.दं.सं. तथा धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोप बनाये गये हैं।</u>

17- जहाँ तक धारा- 279 भा0 दं0 सं0 के अपराध का प्रश्न है**?**

इस सबंध में फर्द बरामदगी **प्रदर्श क-3** में अभिकथित घटना के समय कंटेनर ट्रक नंबर HR55M2788 मृतक अभियुक्त हशीब अहमद द्वारा चलाये जाने का कथन किया गया है, जिसकी पुष्टि साक्षी पी.डब्ल्यू.1 उप निरीक्षक शम्स जावेद खान, पी. डब्ल्यू.2 कां. बहादुर यादव व पी. डब्ल्यू.4 विवेचक उप निरीक्षक बृजेश सिह के बयानों से भी होती है, जिससे स्पष्ट है कि अभिकथित घटना के समय कन्टेनर ट्रक नं. HR55M2788 अभियुक्त मो. अफजल द्वारा नही चलाया जा रहा था बल्कि वह बतौर खलासी उक्त ट्रक कन्टेनर में मौजूद था, अतः न्यायालय की राय में अभियुक्त मो. अफजल के विरूद्ध धारा 279 भा.दं.सं. का अपराध साबित नही होता है।

18- अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. के संबंध में अभियोजन पक्ष का फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी प्रदर्श क-3 में कथन है कि मुखबिर खास की सूचना पर जब वादी मुकदमा उ0 नि0 शम्स जावेद खाँन मय हमराही कांस्टेबल बहादुर यादव व नरेन्द्र यादव के साथ रखौना बरमबाबा तिराहे के पास वाहन चेकिंग कर रहा था तो वाराणसी की ओर से आते ट्रक कंटेनर की ओर इशारा करते मुखबिर ने बताया कि यह वह ट्रक कंटेनर ट्रक है, जिसमें भैंस व भैंसा ठूस-ठूस कर भरे है, जिस पर वादी मुकदमा व हमराहीयान ने ट्राच की रोशनी से उक्त ट्रक कंटनेर को रोकने इशारा करते हुए रोकने का प्रयास किया तो उक्त कंटनेर के केबिन में बाई तरफ बैठे व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि गाड़ी चढ़ाकर पुलिसवालों को जान से मार दो नही तो वह लोग गाड़ी सहित पकड़े जायेंगे, इतना सुनते ही उक्त कंटनेर के चालक ने पुलिस वालों को लक्ष्य करके अपनी गाड़ी तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पुलिसवालो को जान से मारने की नियत से पुलिसवालो के ऊपर कंटनेर ट्रक चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस वाले ट्रेनिंग में सिखाये गये सुरक्षा नियमों को अमल में लाते हुए किसी तरह अपनी सुरक्षा करते हुए हिकमत अमली से उक्त कंटनेर को रोक लिये ।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शानजरी प्रदर्श क-6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण का घटनास्थल नेशनल हाईवे-2 पर है। नक्शानजरी में प्रश्नगत ट्रक को वाराणसी की तरफ से (<==) से चिन्ह से दर्शाया गया है, तथा नक्शानजरी में वह स्थान जहाँ पुलिसवालों को गाड़ी को रोका जाना और वही पर पुलिसवालों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किये जाने के स्थान को 'A_1' तथा वह स्थान जहाँ पुलिसवालों के द्वारा ट्रक कंटेनर को रोका गया 'A_2' से दर्शाया गया है। नक्शानजरी में ट्रक के आने के दिशा एक सीधी रेखा में दर्शायी गयी है तथा फर्द बरामदगी प्रदर्श क-3 व वादी मुकदमा उ0 नि0 शम्स जावेद खाँन तथा हमराही कांस्टेबल बहादुर यादव के मौखिक साक्ष्य में इसका कोई उल्लेख नही है कि प्रश्नगत ट्रक कितनी तेजी से चलाया जा रहा था। प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल हाइवे पर का है, जहाँ पर सामान रूप से भी यदि अचानक किसी वाहन को रोकने का इशारा किया जाये तो भी वाहन को रोकने में कुछ समय लगेगा तथा वाहन कुछ दूर जाकर ही रुक पायेगा ।

प्रस्तुत प्रकरण के नक्शानजरी में उक्त स्थान 'A_1 जहाँ प्रश्नगत ट्रक को पुलिसवालों द्वारा रोकने का इशारा किया गया था तथा स्थान 'A_2' जहाँ तक कंटेनर को रोका गया, के मध्य कुछ दूरी होना दर्शित है, परंतु उक्त दोनों स्थानों के मध्य वास्तविक दूरी का कोई उल्लेख न तो फर्द बरामदगी प्रदर्श क-3 और न ही नक्शानजरी प्रदर्श क-6 में ही अँकित किया गया। पत्रावली पर इसके अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जिससे यह साबित होता हो कि घटना के समय ट्रक कंटेनर की स्पीड क्या थी, इसके अतिरिक्त नक्शानजरी में ट्रक आने की दिशा भी एक सीध में दर्शित है। अतः मात्र साक्षी पीडब्ल्यू 01 वादी मुकदमा/उ0नि0 शम्स जावेद खाँन व पीडब्ल्यू 02 का. बहादुर यादव के मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्षित नही किया जा सकता है कि घटना के समय ट्रक कंटेनर को लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा था।

फर्द बरामदगी प्रदर्श क-3 में अभियोजन का कथन है कि ट्रक कंटेनर में बैठे बाई ओर व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि गाड़ी चढ़ा कर पुलिसवालों को जाने से मार दो नही तो वह दोनों गाड़ी सहित पकड़े जायेगे जिस पर कंटेनर के चालक ने पुलिसवालों के लक्ष्य बनाकर अपनी गाड़ी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से पुलिस वालों पर ट्रक कंटेनर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया।

इस संबंध में साक्षी पीडब्ल्यू 01 वादी मुकदमा/उ0नि0 शम्स जावेद खाँन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग, राहगीर व उनके सामान को कोई क्षति नही हुई थी, इस घटना में किसी पुलिस वाले को चोट आयी थी, और न ही कोई पुलिस वाले मेडिकल करवाये थे।

इसी प्रकार साक्षी पीडब्ल्यू 02 कां. बहादुर यादव ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि जब गाडी लापरवाही से आ रही थी, तो किसी भी पब्लिक के आदमी, सरकारी प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति नही पहुची थी। इस घटना में किसी भी पुलिस बल को चोट नही आयी थी। पुलिसवाले के जान पर बन जाने के बावजूद किसी भी प्रकार के सरकारी असलहे का प्रयोग नही किया।

इसी प्रकार साक्षी पीडब्ल्यू 04 बृजेश सिंह, जो प्रस्तुत प्रकरण का विवेचक है, ने भी अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि दौरान विवेचना उसे कोई मेडिकल प्रस्तुत नही किया गया है, और न ही कथित घटना में किसी व गवाहान को चोट आयी थी। घटनास्थल का उसने अवलोकन किया था, किसी प्रकार की कोई क्षति राज्य सरकार की या केन्द्र सरकार की या प्राइवेट व्यक्ति की सम्पत्ति की नही हुई थी।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पीडब्ल्यू 01 वादी मुकदमा/उ0नि0 शम्स जावेद खाँन, पीडब्ल्यू 02 कांस्टेबल बहादुर यादव व पीडब्ल्यू 04 विवेचक/उ0नि0 बृजेश सिंह ने अपने-अपने मौखिक साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अभिकथित घटना में पुलिस बल को कोई चोट नही आई है। जहाँ तक पुलिस बल पर ट्रक कंटेनर चढ़ाकर पुलिस बल को जान से मारने का प्रश्न है, इस संबंध में जैसा कि नक्शानजरी प्रदर्श क-6 में 'A_1' स्थान वह स्थान बताया गया है, जहाँ पर ट्रक कंटेनर को पुलिस वाले पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। उक्त नक्शानजरी से यह भी स्पष्ट है कि वाराणसी की तरफ से 'A_1' स्थान तथा उसके पश्चात 'A_2' स्थान जहाँ पुलिस बल द्वारा ट्रक कंटेनर को रोका गया वह सीधी रेखा में है। स्वीकृत रूप से हाईवे पर ट्रक के केबिन में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा कही गयी बात को सड़क पर खड़े गये व्यक्तियों को सुना जाना स्वाभाविक प्रतीत नही होता है, इसके अतिरिक्त नक्शानजरी प्रदर्श क-6 में वह स्थान भी दर्शित नही है, जहाँ पर हटकर पुलिस बल द्वारा अपना बचाव किया गया हो। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि ट्रक से किसी पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी अथवा सरकारी सम्पत्ति को भी कोई क्षति नही हुई है।

अभियोजन साक्षीगण पीडब्ल्यू 01 व पीडब्ल्यू 02 के मौखिक साक्ष्य में फर्द बरामदगी मौके पर दो प्रतियों या तीन प्रतियों में तैयार किये जाने के संबंध में भी विरोधाभाष है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में किसी पब्लिक के गवाह को परीक्षित नही कराया गया, जबकि नक्शानजरी प्रदर्श क-6 से स्पष्ट है कि घटनास्थल के आस पास घर, टेन्ट हाउस, फोटोस्टैट की दुकान व डाक्टर की क्लीनिक आदि थी । अतः अभियोजन पक्ष द्वारा घटना में किसी जनता के व्यक्ति को साक्षी न बनाये जाना भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष अभियुक्त मो0 अफज़ल पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. को भी साबित करने में सफल नही रहा है।

19- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोप अन्तर्गत धारा 11 पशू क्रूरता अधिनियम हेतु आरोपित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष का फर्द बरामदगी प्रदर्श क-3 व प्रथम सूचना रिर्पोट प्रदर्श क-4 में कथन है कि दिनांक 15.10.2018 को समय 21.18 स्थान बरमबाबा तिराहा एनएच-2 बहद ग्राम रखौना थाना मिर्जामुराद, वाराणसी में अभियुक्त मोहम्मद अफजल एक अन्य अभियुक्त हशीब अहमद के साथ मिलकर लोक मार्ग वाहन ट्रक कंटेनर संख्या HR55M2788 में 29 राशि भैंस व भैंसा को काफ ठूंस-ठूंस कर बेरहमी से लादकर क्रूरतापूर्वक से बांधकर ले जाया जा रहा था।

इस संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू.01 उप निरीक्षक शम्स जावेद/वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा ट्रक कंटेनर का दरवाजा खोलवाकर देखा गया तो कुल 29 राशि भैस व भैंसा ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे क्रुरतापूर्वक जिसे यह लादकर ले जा रहे थे, जिन्हे सुरक्षित उतारकर देखा गया तो 24 राशि भैंस रंग काला, 03 राशि भैंस रंग भूरा, 02 राशि भैंसा रंग काला पाया गया । पकड़े गये जानवरो की सुरक्षा चारा-पानी देख रेख हेतु ग्राम खजुनी के भाइया लाल को बुलाकर सुपुर्दगीनामा तैयार कर सुपुर्दगी में दिया गया ।

अपनी प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी का कथन है कि जानवरों के साथ क्रुरता का व्यवहार करते हुए किसी व्यक्ति को नही देखा बल्कि क्रुरतापूर्वक भरे गये थे, किसी जानवर को चोट लगी थी या नही वह नही बता सकता । उसने किसी पशु चिकित्सक को नही बुलाया था। न बुलाने का कारण वह नही बता सकता। कोई पशु ख्याल नही था।

इसी प्रकार साक्षी पीडब्ल्यू 02 कांस्टेबल बहादुर यादव ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ट्रक कंटेनर में 29 राशि भैंस व भैंसा ठूंस कर भरे व लादे जाने तथा पशुओं को जख्म होने का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके समाने जानवरों के साथ उसके साथ क्रुरतापूर्वक व्यवहार नही कर रहे थे, बल्कि उन्हें क्रूरतापूर्वक ट्रक में जानवरों को भर रहे थे । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि घटना की तिथि दिनांक 15.10.2018 को ट्रक कंटेनर संख्या HR55M2788 से बरामद 29 राशि भैंस व भैंसा को चारा-पानी व देख रेख हेतु भइया लाल पुत्र छटंकी, निवासी खजुरी की सुपुर्दगी में दिया गया जिसमें से 24 राशि भैंस रंग काला, पूँछ रंगा काली, ऊचाई लगभग 7-9 मूठ, सींघ 1½ से 2 बालिस्त लगभग, 03 राशि भैंस रंग भूरा, पूँछ भूरी, ऊचाई लगभग 9 मूठ, सींघ लगभग 2 बालिस्त व 02 राशि भैंसा रंग काला, पूँछ काली, ऊचाई लगभग 8 मूठ, सींघ 1½ बालिस्त, नाक, कान, आँख औसत थे ।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी पीडब्ल्यू 01 उ0नि0 शम्स जावेद खाँन, पीडब्ल्यू 02 हमराही कांस्टेबल बहादुर यादव व पत्रावली पर उपलब्ध सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-2 से साबित है कि ट्रक कंटेनर पंजीयन संख्या HR55M2788 में अभियुक्त मोहम्मद अफजल द्वारा, मृतक अभियुक्त हशीब अहमद के साथ 29 राशि पशुओं (भैंस-भैसा) का परिवहन किया

जा रहा था । स्वीकृत रूप से ट्रक के अंदर 29 पशुओं जिनमें 27 भैंस व 2 भैंसा थे, को चलने फिरने या हिलने-डुलने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नही था। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित The Transport of Animals Rules, 1978 का नियम 56(सी) यह स्पष्ट उपबंध करता है कि "no goods vehicle shall carry more than six cattle", जबकि प्रश्नगत ट्रक एक गुड्स व्हीकल की श्रेणी में आता है और उक्त वाहन में अधिकतम छः पशुओं के ही परिवहन की इजाजत होती है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त ट्रक में 29 औसत आकार के पशुओं को बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में ले जाया जा रहा था, जिससे अभियुक्त मोहम्मद अफजल द्वारा बरामद गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक परिवहन किये जाने का तथ्य स्वतः साबित होता है । अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त मो0 अफजल के विरुद्ध धारा-11 पशु क्रूरता अधि0 के तहत आरोप संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

20- इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मो0 अफजल व हशीब अहमद के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 279, 307 IPC को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। परंतु जैसा कि अभियोजन द्वारा संदेह से परे यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण मो0 अफजल व हशीब अहमद द्वारा धारा- 11 पशु क्रूरता अधि0 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है । चूँकि दौरान विचारण अभियुक्त हशीब अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त हशीब अहमद के विरूद्ध वाद कार्यवाही पूर्व में उपशमित की जा चुकी है। अतः शेष अभियुक्त मो0 अफजल आरोप अन्तर्गत धारा 279, 307 IPC से दोषमुक्त किए जाने योग्य तथा आरोप अंतर्गत धारा- 11 पशु क्रूरता अधिनियम दोषसिद्ध किये जाने योग्य है । तदनुसार अवधार्य बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 निस्तारित किया जाता है।

आदेश

21- अभियुक्त मो0 अफजल को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 307 IPC में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त मो0 अफजल को धारा- 11 पशु क्रूरता अधि0 के आरोप हेतु दोषसिद्ध किया जाता है । अभियुक्त जमानत पर है । अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है तथा उसके बंधपत्र व जमानतनामों को निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है ।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो ।

दिनांक-23.07.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी
JO Code UP1827

UPVR010020012019

IN THE COURT OF Addl. District & Sessions Judge/
F.T.C. (14th F.C.) At, Varanasi.
(Presided Over by Manoj Kumar -II)

Sessions Case- 133/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

अभियोजन पक्ष

बनाम

1- हशीब अहमद पुत्र स्व. रसीद **(मृतक/उपशमित)**
निवासी रोही थाना कोखराज, जनपद, कौशाम्बी।

2- मो0 अफजल पुत्र मो0 इकबाल
निवासी- पूरामुफ्ती, पुरानी बाजार थाना पूरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी।

दोषसिद्ध

मु.अ.सं.- 265/2018
धारा- 279, 307 भारतीय दण्ड संहिता,
धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना- मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी।

दिनांकः-23.07.2026

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्ध न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया। दोषसिद्ध की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध अत्यन्त गरीब है तथा कम पढा लिखा है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोषसिद्ध द्वारा निर्दयतापूर्वक तथा क्रूरतापूर्वक पशुओं को बांधकर ले जाया जा रहा था, दोषसिद्ध को सम्यक दण्ड से दण्डित किया जाय।

दोषसिद्ध द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति तथा उसकी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत का है कि दोषसिद्ध को धारा- 11 पशुक्रूरता अधिनियम के अपराध हेतु 50/- रूपये का अर्थदण्ड दिये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

आदेश

अभियुक्त मो0 अफजल को धारा- 279, 307 IPC के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

दोषसिद्ध मो0 अफजल को धारा-11 पशुक्रूरता अधिनियम के अपराध हेतु 50/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक दिन के

अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. (14th वि.आ.), वाराणसी

साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषमुक्त द्वारा धारा 481 बी.एन.एस.एस. के अधीन दाखिल जमानतनामें व बंधपत्र आगामी छः महीने तक प्रभावी रहेगा।

निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को अविलंब निःशुल्क प्रदान की जाये ।

दिनांकः-23.07.2026

(मनोज कुमार द्वितीय)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार द्वितीय)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी
JO Code UP1827

दिनांकः-23.07.2026
Steno-Shahbaz